



SAFETY NET

Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation
(Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)



Issue 1

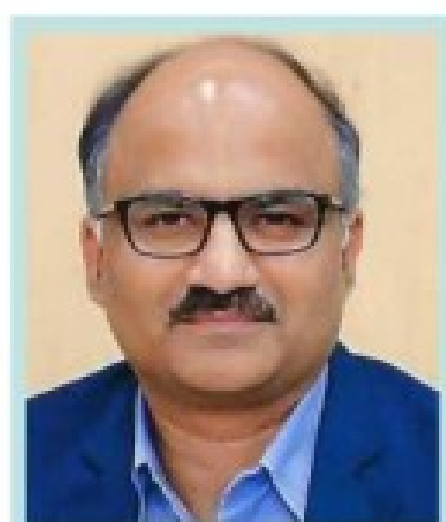


Inside This Issue

- From the Chairman's Desk
- Message from Executive Director
- DICGC At a Glance
- International Outreach



Editor's Note



Anup Kumar
Editor,
Chief General Manager
DICGC

The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation established in 1962 completes 62 years of service to the nation with the

primary objective of securing public confidence in the banking system through deposit insurance. As an important financial safety net participant, the Corporation has played its role in achieving financial stability objectives of the nation.

During this journey, the Corporation has crossed many milestones and undertaken taken many initiatives. One of the initiatives this year is the launch of this semi-annual newsletter, with this first issue. This initiative forms part of the Corporation's Communication Policy and Strategy to inform all its stakeholders about recent developments in deposit insurance and the functioning of the Corporation.



Dr. M. D. Patra
Deputy Governor
Reserve Bank of India

From the Chairman's Desk

Deposit Insurance and DICGC: An Enduring Journey

Deposit insurance enhances public confidence in the banking system, thereby contributing to financial stability. India has been at the forefront in designing and implementing a deposit insurance (DI) framework for shielding small depositors of banks operating in the country. The idea of deposit insurance was being deliberated upon by the Government of India and the Reserve Bank of India (RBI) amidst intermittent bank failures between 1948 and 1960. Subsequently, the Deposit Insurance Corporation (DIC) was established on January 1, 1962, as a wholly owned subsidiary of RBI.

The DIC was merged with the Credit Guarantee Corporation of India and renamed as the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) on July 15, 1978. DICGC is the second oldest deposit insurer in the world, after the Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), USA. With the credit guarantee scheme discontinued in April 2003, deposit insurance remains the principal function of the Corporation.

The DICGC is governed by the DICGC Act, 1961 and the DICGC General Regulations, 1961, framed by the RBI.

Mandate

The DICGC's mandate since its inception has been the reimbursement of insured amounts to depositors of failed banks. This mandate is termed the pay-box function, as per the 2014 Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems framed by the International Association of Deposit Insurers (IADI). In recent times, the DICGC has assumed a 'pay-box plus' mandate, which in addition to reimbursement of insured deposits, includes additional responsibilities such as certain resolution functions in the form of financial support.

Institutional Coverage

The deposit insurance scheme, which was initially mandatory for all commercial banks operating in India (including branches of foreign banks) was extended to cooperative banks in 1968. All banks are required to be registered with the Corporation as insured banks. The number of insured banks increased from 276 at end-December 1962 to 1997 at end-March 2024.

Deposit Insurance Scope and Coverage

The DICGC insures all categories of deposits with banks except institutional deposits. The deposit insurance coverage limit has been enhanced six times since 1962, from ₹1,500 per depositor held in the same right and same capacity at all the branches of insured bank to ₹5,00,000 since February 04, 2020. At present, 97.8 percent of the total number of deposit accounts are fully protected. Of the remaining 2.2 percent of accounts, deposits are insured up to the limit of ₹500,000. In terms of value, 43.1 percent of the deposits were insured as of March 2024.

Deposit Insurance Premium

The Corporation collects insurance premium from insured banks to build the Deposit Insurance Fund (DIF) which is used for the administration of the deposit insurance scheme. Insured banks are required to pay the insurance premium, based on their eligible/assessable deposits at the end of March and the end of September, respectively.

The DICGC has adopted a flat rate premium since inception. The rate of insurance premium was ₹0.05 (i.e., 5 paise) per ₹100 of eligible deposit per annum at the time of inception and currently is 12 paise per ₹100 of assessable deposits per annum from April 1, 2020.

Deposit Insurance Fund (DIF)

The Deposit Insurance Fund with the Corporation is primarily built out of the premium paid by insured banks, interest income from investment in Government of India securities and recoveries from settled claims, net of income tax. The DIF as at and-March 2024 was ₹1,98,753 crore, recording an year-on-year growth of 17.2 percent. The fund is invested only in Government of India securities. The reserve ratio (i.e., ratio of DIF to insured deposits) increased to 2.11 per cent from 2.02 per cent a year ago.

Settlement of Claims

In the event when the license of an insured bank is cancelled, every depositor is entitled to payment of an amount equal to the deposits held at all the branches of that bank put together in the same capacity and in the same right, as on the date of cancellation of registration (i.e., the date of cancellation of licence or order for winding up or liquidation), subject to set-off of his/her dues to the bank and subject to the limit of insurance coverage fixed from time to time.

A major development in this regard was the DICGC Act amendment in August 2021. As per this amendment, the Corporation is liable to make payment to depositors of the banks placed under All Inclusive Direction (AID) by the RBI up to the deposit insurance limit within 90 days from the date of imposition of AID. The insured bank has to submit the depositor list within 45 days of imposition of AID, and the Corporation has to get the genuineness and authenticity of the claims verified within 30 days and pay the depositors who have submitted their willingness to receive the same within the next 15 days. In case any scheme of amalgamation or other scheme is under consideration by the authorities, this period could be extended by 90 days. In the case of liquidated banks and banks under AID, the DICGC has settled claims within the statutory time limit (90 days from the imposition of AID in the case of banks under AID and two months from the date of receipt of claim list in case of liquidated banks).

Recovery of Settled Claims

At present, banks under AID, to whom pay-out has been made under Section 18A of the DICGC Act, are required to repay in 5 yearly instalments.

Enhancing Public Awareness

Enhancing awareness about deposit insurance among depositors is key to enhancing confidence in the banking system. In this context, the communication strategy on public awareness is formulated by the DICGC in line with the recommendations of a Technical Advisory Committee.

The Corporation has also registered on a hyper-local social media platform that facilitates sharing of specific information with a targeted audience in a particular district/ward and currently has 30100 plus followers. Messages are also relayed in vernacular languages for wider dissemination of information.

Furthermore, the spreading of awareness among depositors on receipt of claims and settlement of claims is achieved through bulk electronic messages. All insured banks that have a website display the DICGC logo and QR Code prominently on their webpage, for focused dissemination of information on deposit insurance.

This debut issue of the Newsletter is another step in the direction of enhancing public awareness about deposit insurance, the activities of the DICGC and the access of the public to it, and the commitment of DICGC to public service in order to instill trust and confidence in India's banking system.

In conclusion, I congratulate DICGC on bringing out the first issue of the newsletter and wish the Corporation success in the future.

Message from Executive Director



Arnab Kumar Chowdhury
Executive Director
Reserve Bank of India

DICGC is constantly enhancing its efficiency and effectiveness to fulfil its mandate of deposit insurance. In recent years, the Corporation's endeavor has been on four thrust areas, namely, digital transformation of its operations, strengthening of compliance, claim settlement and recovery management, and augmenting public awareness campaigns.

The focus of digital transformation of the Corporation is on process optimization, business analytics, data management, and cyber security. The first project which is in the pipeline is the development of a new integrated application solution (NIAS) to streamline the day-to-day functioning with modules for each of the Corporation's operations, namely insurance operations, treasury, accounting, claims settlement, recovery, legal and customer grievance redressal.

Another initiative is the designing of a new website to make it more customer friendly in terms of content, search capability and customer interface. DICGC has developed a Claim Status Tracker (Dava Sookchak) which will be hosted on DICGC's website for a near real-time tracking of claim status.

The Corporation is working on consolidation of all instructions on Deposit Insurance under a Master Direction; preparation of Analytics Dashboards to validate premium assessment and monitor the recovery process; conduct of a survey to identify roadblocks and streamline the claim settlement process, etc.

Public outreach campaign has been one of DICGC's focus areas targeted at wider dissemination of information on Deposit Insurance. This Newsletter is DICGC's latest attempt to reach out to a wider domestic and international audience.

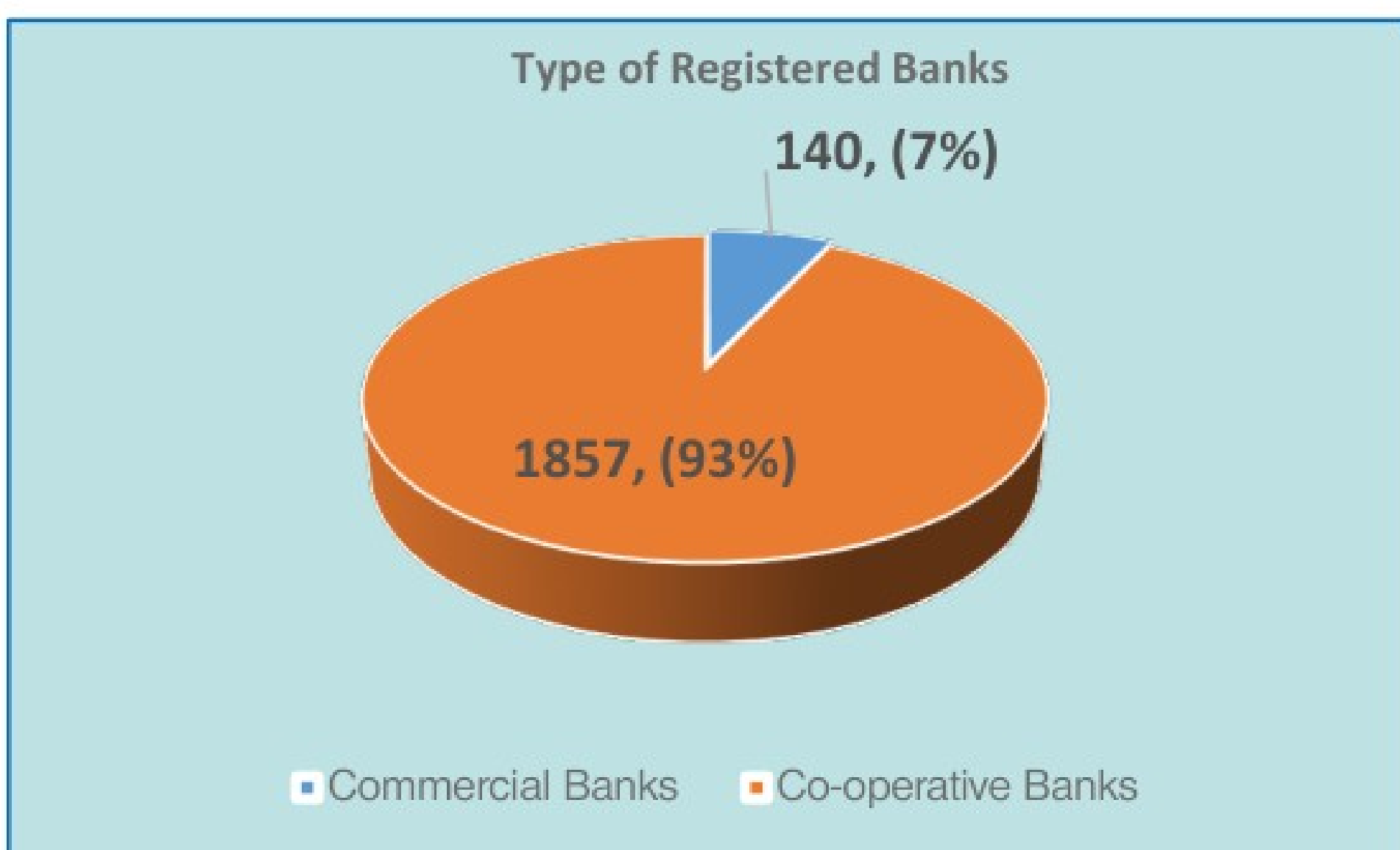
DICGC At a Glance

DICGC Milestones

Date	Policy/Event
1961	Deposit Insurance Corporation (DIC) Act, 1961 introduced in the Parliament on August 21; President's assent on December 7, 1961.
January 1, 1962	Deposit Insurance Act, 1961 comes into effect for commercial banks. Deposit Insurance Coverage is fixed at ₹1,500 per depositor for deposits held in "the same capacity and in the same right." The premium is fixed at ₹0.05 per annum per ₹100 of eligible deposits.
1968	Deposit insurance is extended to co-operative banks
July 15, 1978	Deposit Insurance Act, 1961 is amended and renamed as 'The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961'. DICGC comes into existence with the merger of Deposit Insurance Corporation (DIC) and the Credit Guarantee Corporation of India Ltd. (CGCI).
August 27, 2021	An Amendment to DICGC Act with the insertion of Section 18A by which the Corporation is liable to make payment to depositors, up to the deposit insurance limit, of the banks placed under All Inclusive Direction (AID) by RBI. An amendment to Section 15 (1) of the DICGC Act enabling DICGC to raise the insurance premium limit of 15 paise per annum per ₹100 of deposits with the prior approval of RBI.
September 1, 2023	All insured banks have been advised to display the DICGC logo and QR Code prominently on their web page for focused dissemination of information on deposit insurance.

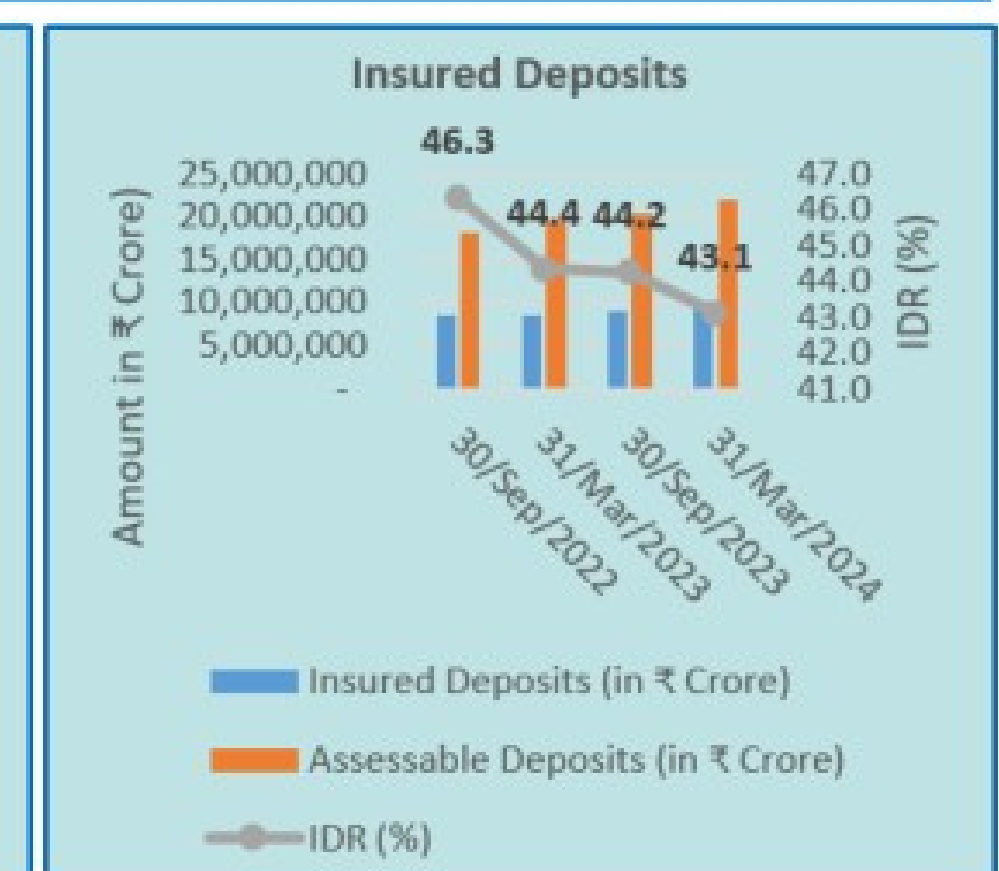
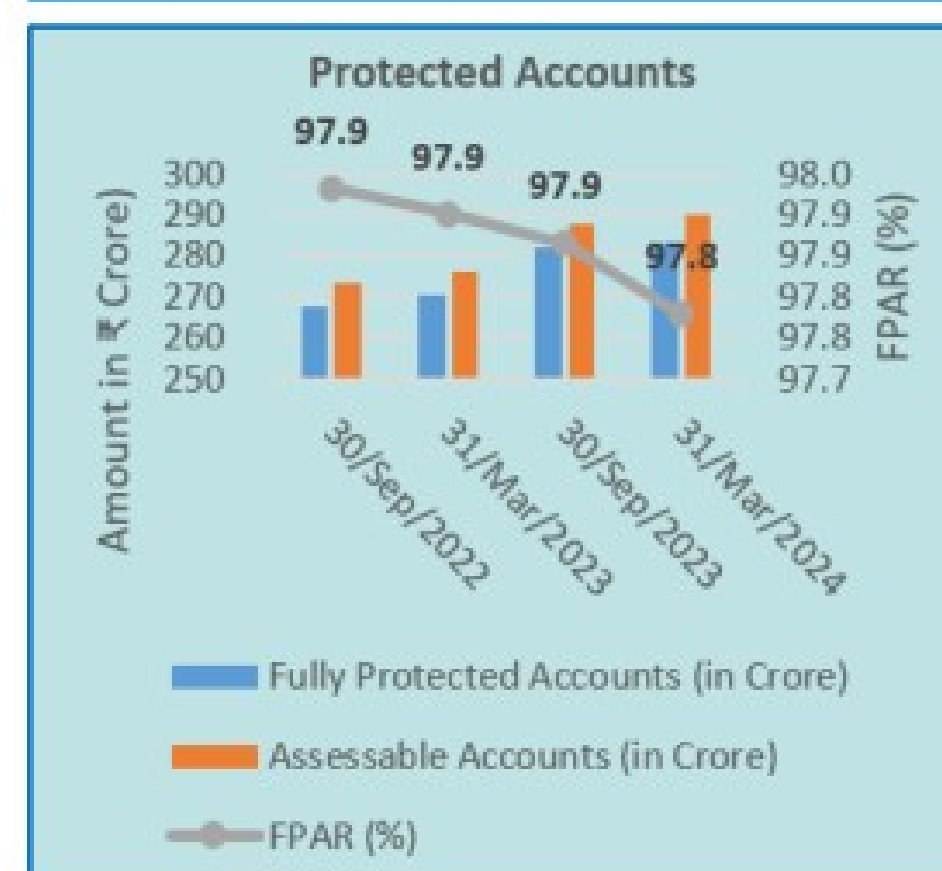
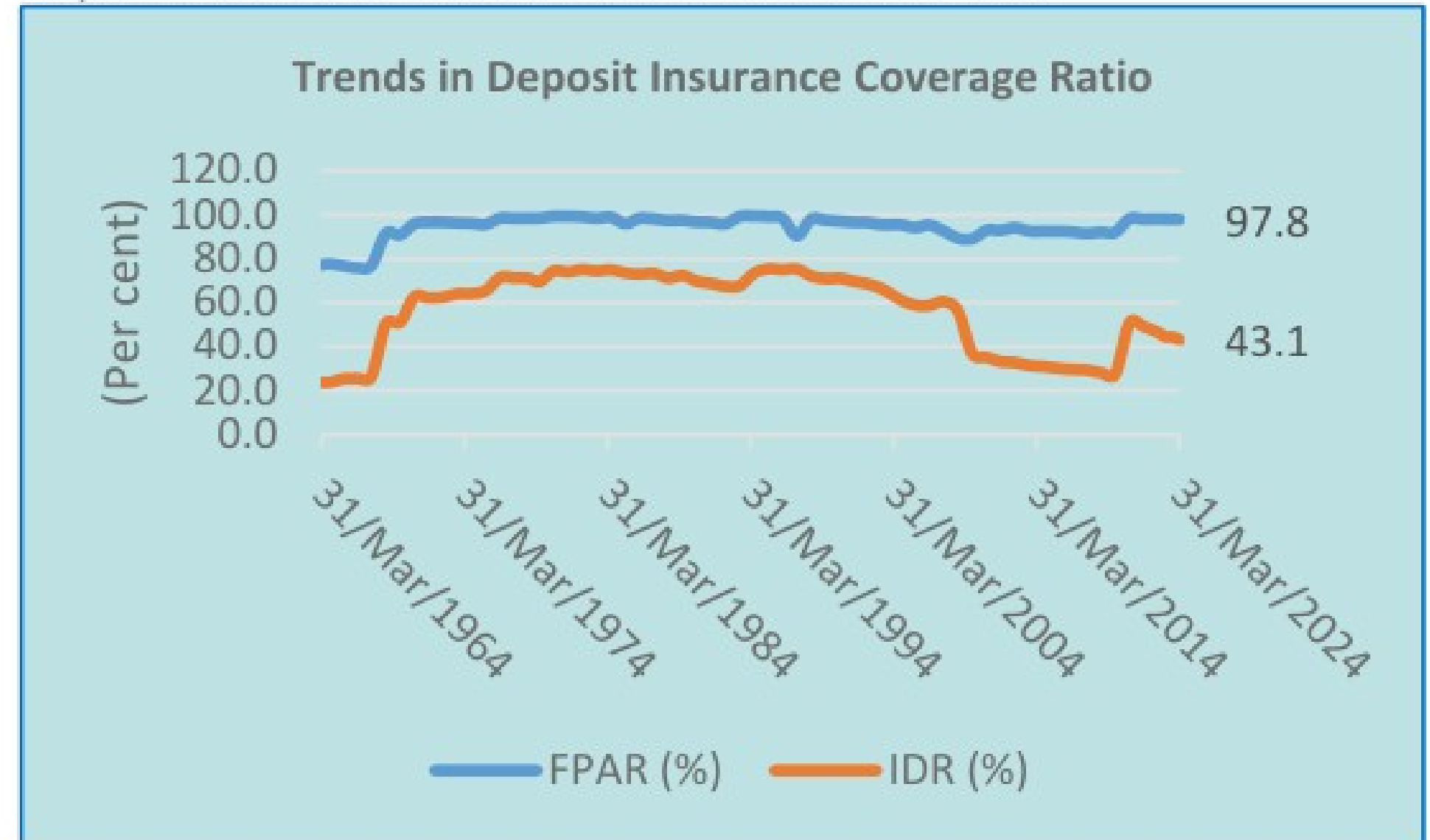
Registered Banks

All banks operating in India are registered with DICGC for deposit insurance. The number of banks registered with DICGC was 1997 as of March 31, 2024, of which 140 were Commercial banks and 1857 were Co-operative banks.



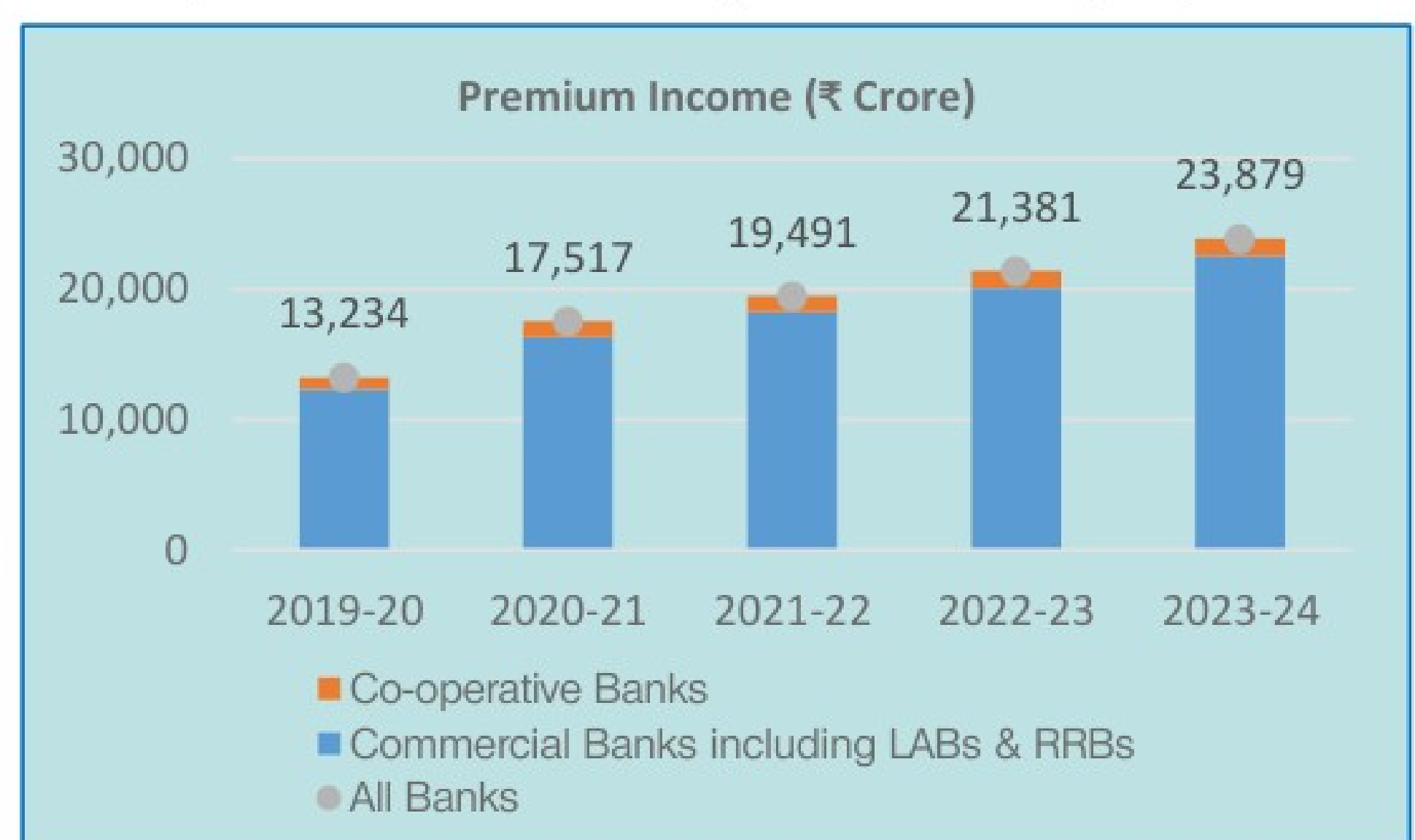
Deposit Insurance Coverage Ratios

Under the extant coverage limit of ₹5,00,000, the share of fully protected accounts in the total eligible deposit accounts (FPA ratio) was 97.8 per cent as at end-March 2024. The share of insured deposit to assessable deposits, termed as the Insured Deposit Ratio (IDR) was 43.1 per cent (44.4 per cent as at end-March 2023). The insured deposits ratio was higher for cooperative banks (63.2 per cent) followed by commercial banks (42.0 per cent). Within commercial banks, Public Sector Banks (PSBs) had a higher insured deposit ratio vis-à-vis Private Sector Banks (PSBs).



Premium

The total premium received by the Corporation during 2023-24 stood at ₹23,879 crore, with commercial banks contributing 94.4 percent and cooperative banks accounting for the remaining 5.6 per cent.



Claims Paid and Recovery

In the case of liquidated banks and banks under the Reserve Bank's All-Inclusive Directions (AIDs), the DICGC settled claims amounting to ₹1,432 crore during 2023-24.

During the year, the Corporation received repayments of ₹900.73 crore, of which ₹760.83 crore was from liquidated/transferee banks and ₹139.90 crore from banks under AID.

Role of IADI

The International Association of Deposit Insurers (IADI) was formed in May 2002 to enhance the effectiveness of deposit insurance systems by promoting the sharing of knowledge and expertise, international cooperation, and guidance. As a not-for-profit organisation, IADI is a forum for deposit insurers from around the world that engages with other financial safety net participants and international financial institutions to promote best practices in the areas of depositor protection, bank resolution and financial stability. IADI currently has 98 deposit insurers as members, 11 associates (central banks and other national authorities) and 17 partners (not-for-profit national and international organizations). IADI provides training and educational programs and produces research and guidance on matters related to deposit insurance for the benefit of those jurisdictions seeking to establish or improve a deposit insurance system. IADI is governed by the General Assembly and the Executive Council. The Executive Council has established five Council Committees and eight Regional Committees for Africa, Asia-Pacific, the Caribbean, Eurasia, Europe, Latin America, the Middle East and North Africa, and North America.

IADI is the global standard-setter for deposit insurance systems with the objective of strengthening these systems and contributing to the stability of financial systems. Towards this end, IADI designed the 'Core Principles (CPs) for Effective Deposit Insurance Systems' in 2014 in association with the BIS. The CPs have been incorporated by the Financial Stability Board (FSB) into the global Compendium of Standards for stable financial systems. Further, the CPs are used by the International Monetary Fund, the World Bank and the FSB to assess the stability frameworks of jurisdictions around the world. DICGC is a member of IADI and the Asia Pacific Regional Committee (APRC) and actively engages with both in various forums. Officials of the Corporation participate in the meetings, seminars/webinars, workshops, and international conferences organised by IADI and APRC. DICGC also regularly does an internal assessment of its compliance with the CPs.

2023 Bank Failures: Potential Implications and emerging policy issues for Deposit Insurance

After some bank failures in the US and Europe in March 2023, the IADI did an analysis of potential implications and emerging policy issues for deposit insurance systems and also took stock of the actions undertaken by deposit insurers. The findings were published in a report titled "The 2023 banking turmoil and deposit insurance systems: Potential Implications and Emerging Policy Issues".

As per this report, the banking turmoil ignited debates on its potential implications for deposit insurance system. To be effective, the deposit insurance systems must work in synergy with the frameworks for prudential regulation, supervision, and resolution, as well as the lender of last resort and public backstop functions. The use of long-term subordinate debt can help strengthen market discipline and reduce the burden on deposit insurance funds. The failures have reiterated the importance of cross-border cooperation in the failure management of non-G-SIB banks as well.

Countries are re-evaluating coverage options, including limited, unlimited, and targeted reforms, to enhance depositor confidence and financial stability. There is a need for early intervention and timely and effective management of bank crises. The ubiquity of social media and payment innovations may mean that bank runs are both

more likely to occur and to happen more quickly when they do. Public awareness of deposit insurance contributes to decreasing the risk of bank run. Several deposit insurers are currently investigating the potential technological innovation in reimbursement practices.

In the aftermath of the bank failures, many deposit insurers have taken several steps, including monitoring bank liquidity, deposits, and exposures to distressed banks; stress testing and crisis simulations, social media usage to increase public awareness about deposit insurance; and improving coordination between financial safety net participants.

Source: IADI (<https://www.iadi.org/en/>)

IADI Policy Brief

The IADI published a policy brief titled "Uninsured Deposits: Relevance and Evolution over time" authored by Bert Van Roosebeke, Ryan Defina, and Tri Wahyuni. Some of the major observations in the policy brief are:

(i) Deposit insurance coverage levels vary significantly across G20 economies, both in nominal size and when expressed as a share of domestic GDP per capita; (ii) Globally, deposit insurers fully cover the deposits of a very high share of depositors. This ratio has been consistently high since 2015; and (iii) Deposit insurers cover approximately 41 per cent of the value of eligible deposits globally. Conversely, 59 per cent of deposits are uninsured. Generally speaking, the more advanced an economy, the higher the coverage ratio per value of deposits covered by deposit insurance.

Source: IADI (<https://www.iadi.org/en/>)

High Level Delegates from Ethiopian Deposit Insurance Fund visit DICGC

A high-level delegation from the newly established Ethiopian Deposit Insurance Fund (EDIF) visited DICGC on November 7-8, 2023 to understand the functioning of the Corporation. The delegation was led by Mr Solomon Desta, Chairman of EDIF and Vice Governor of the National Bank of Ethiopia. Board members of EDIF and its Chief Executive Officer were also part of the delegation.



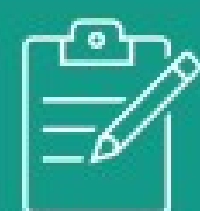


सुरक्षा कवच

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
(भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी)



अंक 1

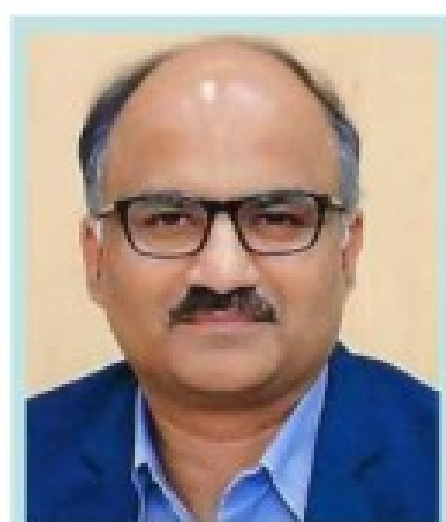


इस अंक में शामिल

- अध्यक्ष की कलम से
- कार्यपालक निदेशक का संदेश
- डीआईसीजीसी एक नज़र में
- अंतर्राष्ट्रीय आउटरीच



संपादक की कलम से

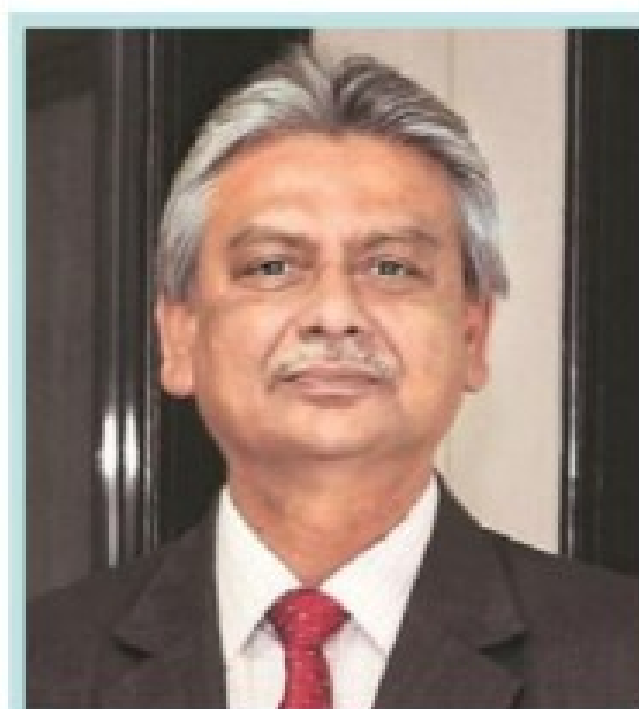


श्री अनूप कुमार
संपादक
मुख्य महाप्रबंधक,
डीआईसीजीसी

1962 में स्थापित निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम ने जमा बीमा के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में जनता का विश्वास हासिल करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ देश की सेवा के 62 वर्ष पूरे कर लिए हैं।

एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा कवच भागीदार के रूप में, निगम ने राष्ट्र के वित्तीय स्थिरता उद्देश्यों को प्राप्त करने में अपनी भूमिका निभाई है।

इस यात्रा के दौरान, निगम ने कई मील के पथर पार किए हैं और कई पहल की हैं। इस वर्ष की पहलों में से एक इस अर्ध-वार्षिक समाचार पत्र का शुभारंभ है, इस पहले अंक के साथ। यह पहल निगम की संचार नीति और रणनीति का हिस्सा है ताकि अपने सभी हितधारकों को जमा बीमा में हाल के विकास और निगम के कामकाज के बारे में सूचित किया जा सके।



डॉ. एम. डी. पात्र
उप गवर्नर,
भारतीय रिज़र्व बैंक

अध्यक्ष की कलम से

जमा बीमा और डीआईसीजीसी : एक सतत यात्रा

जमा बीमा बैंकिंग प्रणाली में जनता के विश्वास को बढ़ाता है, जिससे वित्तीय स्थिरता में योगदान मिलता है। देश में कार्यरत बैंकों के छोटे जमाकर्ताओं को बचाने के लिए जमा बीमा (डीआई) ढांचे को डिजाइन करने और लागू करने में भारत सबसे आगे रहा है। 1948 और 1960 के बीच रुक-रुक कर बैंक विफलताओं के बीच भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जमा बीमा के विचार पर विचार-विमर्श किया जा रहा था। इसके बाद, निक्षेप बीमा निगम (डीआईसी) की स्थापना 1 जनवरी, 1962 को आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में की गई थी।

डीआईसी को भारतीय प्रत्यय गारंटी निगम में मिला दिया गया और 15 जुलाई, 1978 को इसका नाम बदलकर निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) कर दिया गया। डीआईसीजीसी फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (एफ़डीआईसी), यूएसए के बाद दुनिया का दूसरा सबसे पुराना जमा बीमाकर्ता है। अप्रैल 2003 में क्रेडिट गारंटी योजना बंद होने के साथ, जमा बीमा निगम का प्रमुख कार्य बना हुआ है। डीआईसीजीसी, डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 और आरबीआई द्वारा बनाए गए डीआईसीजीसी सामान्य विनियम, 1961 द्वारा शासित है।

अधिदेश

अपनी स्थापना के बाद से डीआईसीजीसी का अधिदेश असफल बैंकों के जमाकर्ताओं को बीमित राशि का भुगतान करना रहा है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ़ डिपॉजिट इंश्योरर्स (आईएडीआई) द्वारा तैयार किए गए प्रभावी जमा बीमा प्रणालियों के लिए 2014 के कोर सिद्धांतों के अनुसार इस अधिदेश को पे-बॉक्स फ़ंक्शन कहा जाता है। हाल के दिनों में, डीआईसीजीसी ने एक 'पे-बॉक्स प्लस' अधिदेश ग्रहण किया है, जिसमें बीमित जमा राशियों के भुगतान के अलावा, वित्तीय सहायता के रूप में कुछ समाधान कार्यों जैसी अतिरिक्त जिम्मेदारियां शामिल हैं।

संस्थागत कवरेज

जमा बीमा योजना, जो शुरू में भारत में परिचालन करने वाले सभी वाणिज्यिक बैंकों (विदेशी बैंकों की शाखाओं सहित) के लिए अनिवार्य थी, का विस्तार 1968 में सहकारी बैंकों तक कर दिया गया। सभी बैंकों के लिए निगम में बीमाकृत बैंकों के रूप में पंजीकृत होना अपेक्षित है। बीमाकृत बैंकों की संख्या दिसंबर 1962 के अंत में 276 से बढ़कर मार्च 2024 के अंत में 1997 हो गई।

जमा बीमा का दायरा और कवरेज

डीआईसीजीसी संस्थागत जमाओं को छोड़कर बैंकों के साथ सभी श्रेणियों की जमा राशियों का बीमा करता है। 1962 के बाद से जमा बीमा कवरेज सीमा को छह बार बढ़ाया गया है, बीमित बैंक की सभी शाखाओं में समान अधिकार और समान क्षमता में रखे गए प्रति जमाकर्ता को 1962 में ₹1,500 से 04 फरवरी, 2020 में ₹5,00,000 कर दिया गया है। वर्तमान में, जमा खातों की कुल संख्या का 97.8 प्रतिशत पूरी तरह से सुरक्षित है। शेष 2.2 प्रतिशत खातों में से, जमा राशि का बीमा 500,000 रुपये की सीमा तक है। मूल्य के संदर्भ में, मार्च 2024 तक जमा राशि का 43.1 प्रतिशत का बीमा किया गया था।

जमा बीमा प्रीमियम

निगम जमा बीमा निधि (डीआईएफ) बनाने के लिए बीमाकृत बैंकों से बीमा प्रीमियम एकत्र करता है जिसका उपयोग जमा बीमा योजना के प्रशासन के लिए किया जाता है। बीमित बैंकों को क्रमशः मार्च के अंत और सितंबर के अंत में उनकी पात्र/निर्धारण योग्य जमा राशियों के आधार पर बीमा प्रीमियम का भुगतान करना होता है।

डीआईसीजीसी ने स्थापना के बाद से एक प्लेट दर प्रीमियम अपनाया है। बीमा प्रीमियम की दर शुरुआत में पात्र जमा के प्रति 100 रुपये के लिए 0.05 रुपये (यानी, 5 पैसे प्रति वर्ष) थी और वर्तमान में 1 अप्रैल, 2020 से प्रति 100 रुपये निर्धारण योग्य जमा पर 12 पैसे है।

जमा बीमा निधि (डीआईएफ)

निगम के पास जमा बीमा निधि मुख्य रूप से बीमित बैंकों द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम, भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश से ब्याज आय और निपटाए गए दावों से वसूली, पर आयकर के भुगतान के बाद शेष राशि से बनाई गई है। मार्च 2024 तक डीआईएफ ₹1,98,753 करोड़ था, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष 17.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। फंड केवल भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। आरक्षित अनुपात (बीमित जमा के लिए डीआईएफ का अनुपात) एक साल पहले के 2.02 प्रतिशत से बढ़कर 2.11 प्रतिशत हो गया।

दावों का निपटान

उस स्थिति में जब बीमित बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है, प्रत्येक जमाकर्ता उस बैंक की सभी शाखाओं में एक साथ समान क्षमता और समान अधिकार में रखी गई जमा राशियों के बराबर राशि के भुगतान का हकदार है, जो पंजीकरण रद्द करने की तारीख को (अर्थात्, लाइसेंस रद्द करने या समापन या परिसमापन के आदेश की तारीख) को एक साथ रखा गया है, बैंक को उसके द्वारा देय राशियों के सेट-ऑफ के अधधीन और समय-समय पर निर्धारित बीमा कवरेज की सीमा के अधीन।

इस संबंध में एक प्रमुख प्रगति अगस्त 2021 में डीआईसीजीसी अधिनियम संशोधन था। इस संशोधन के अनुसार, निगम भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सर्व समावेशी निदेशों (एआईडी) के तहत रखे गए बैंकों के जमाकर्ताओं को जमा बीमा सीमा तक एआईडी लगाए जाने की तारीख से 90 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। बीमित बैंक को एआईडी लागू होने के 45 दिनों के भीतर जमाकर्ता सूची प्रस्तुत करनी होती है, और निगम को 30 दिनों के भीतर सत्यापित दावों की वास्तविकता और प्रामाणिकता प्राप्त करनी होती है और जमाकर्ताओं को भुगतान करना होता है जिन्होंने अगले 15 दिनों के भीतर इसे प्राप्त करने की सम्मति प्रस्तुत की है। यदि विलय या अन्य योजना की कोई योजना अधिकारियों द्वारा विचाराधीन है, तो इस अवधि को 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। परिसमाप्त बैंकों और एआईडी के तहत बैंकों के मामले में, डीआईसीजीसी ने सांविधिक समय-सीमा (एआईडी के तहत बैंकों के मामले में एआईडी के लागू होने से 90 दिन और परिसमाप्त बैंकों के मामले में दावा सूची की प्राप्ति की तारीख से दो महीने) के भीतर दावों का निपटान किया है।

निपटाए गए दावों की वसूली

वर्तमान में, एआईडी के तहत बैंक, जिन्हें डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 18 ए के तहत भुगतान किया गया है, को 5 वार्षिक किस्तों में चुकाना होता है।

जन जागरूकता बढ़ाना

जमाकर्ताओं के बीच जमा बीमा के बारे में जागरूकता बढ़ाना बैंकिंग प्रणाली में विश्वास बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में, जन जागरूकता पर संचार रणनीति डीआईसीजीसी द्वारा तकनीकी सलाहकार समिति की सिफारिशों के अनुरूप तैयार की गई है।

निगम ने एक हाइपर-लोकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पंजीकरण कराया है जो किसी विशेष जिले / वार्ड में लक्षित दर्शकों के साथ विशिष्ट जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करता है और वर्तमान में इसके 30100 से अधिक फॉलोअर हैं। सूचना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए देशी भाषाओं में संदेश भी प्रसारित किए जाते हैं।

इसके अलावा, दावों की प्राप्ति और दावों के निपटान के संबंध में जमाकर्ताओं के बीच जागरूकता फैलाने का कार्य बल्क इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के माध्यम से किया जाता है। सभी बीमित बैंक जिनके पास वेबसाइट है, जमा बीमा पर जानकारी के केंद्रित प्रसार के लिए अपने वेबपेज पर डीआईसीजीसी लोगो और क्यूआर कोड को प्रमुखता से प्रदर्शित करते हैं।

न्यूज़लेटर का यह पहला अंक जमा बीमा, डीआईसीजीसी की गतिविधियों और उस तक जनता की पहुंच, और भारत की बैंकिंग प्रणाली में विश्वास पैदा करने के लिए सार्वजनिक सेवा के लिए डीआईसीजीसी की प्रतिबद्धता के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक और कदम है।

अंत में, मैं समाचार पत्र का पहला अंक प्रकाशित करने के लिए डीआईसीजीसी को बधाई देता हूं और भविष्य में निगम की सफलता की कामना करता हूं।

कार्यपालक निदेशक का संदेश



श्री अर्णव कुमार चौधरी

कार्यपालक निदेशक,
भारतीय रिज़र्व बैंक

डीआईसीजीसी जमा बीमा के अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए अपनी दक्षता और प्रभावशीलता को लगातार बढ़ा रहा है। हाल के वर्षों में, निगम का प्रयास चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर रहा है, अर्थात्, इसके परिचालनों का डिजिटल परिवर्तन, अनुपालन को मजबूत करना, दावा निपटान और वसूली प्रबंधन, और जन जागरूकता अभियानों को बढ़ाना।

निगम के डिजिटल परिवर्तन का ध्यान प्रक्रिया अनुकूलन, व्यापार विश्लेषण, डेटा प्रबंधन और साइबर सुरक्षा पर है। पहली परियोजना जो पाइपलाइन में है, वह निगम के प्रत्येक परिचालन अर्थात् बीमा परिचालन, कोषागार, लेखा, दावा निपटान, वसूली, विधिक और ग्राहक शिकायत निवारण के लिए मॉड्यूल के साथ दिन-प्रतिदिन के कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए एक नए एकीकृत अनुप्रयोग समाधान (एनआईएस) का विकास है।

एक अन्य पहल एक नई वेबसाइट की डिजाइनिंग है ताकि इसे सामग्री, खोज क्षमता और ग्राहक इंटरफ़ेस के मामले में अधिक ग्राहक अनुकूल बनाया जा सके। डीआईसीजीसी ने एक क्लेम स्टेटस ट्रैकर (दवा सोच) विकसित किया है जिसे दावे की स्थिति के वास्तविक समय पर नज़र रखने के लिए डीआईसीजीसी की वेबसाइट पर होस्ट किया जाएगा।

एक अन्य पहल एक नई वेबसाइट की डिजाइनिंग है ताकि इसे सामग्री, खोज क्षमता और ग्राहक इंटरफ़ेस के मामले में अधिक ग्राहक अनुकूल बनाया जा सके। डीआईसीजीसी ने एक क्लेम स्टेटस ट्रैकर (दवा सूचक) विकसित किया है जिसे दावे की स्थिति पर रियल टाइम नज़र रखने के लिए डीआईसीजीसी की वेबसाइट पर होस्ट किया जाएगा।

सार्वजनिक आउटरीच अभियान डीआईसीजीसी के फोकस क्षेत्रों में से एक रहा है जो जमा बीमा पर जानकारी के व्यापक प्रसार पर लक्षित है। यह न्यूज़लेटर व्यापक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचने के लिए डीआईसीजीसी का नवीनतम प्रयास है।

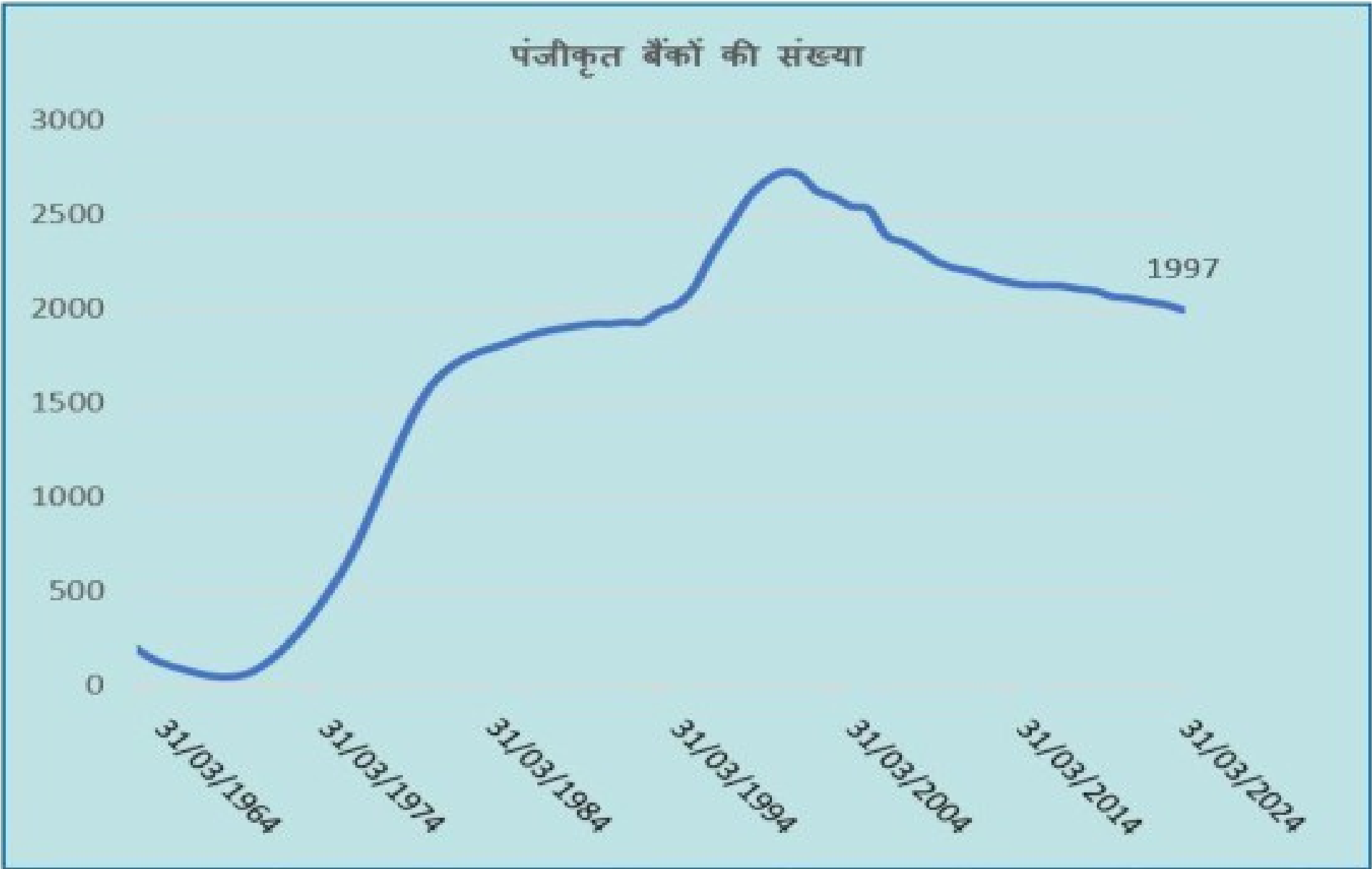
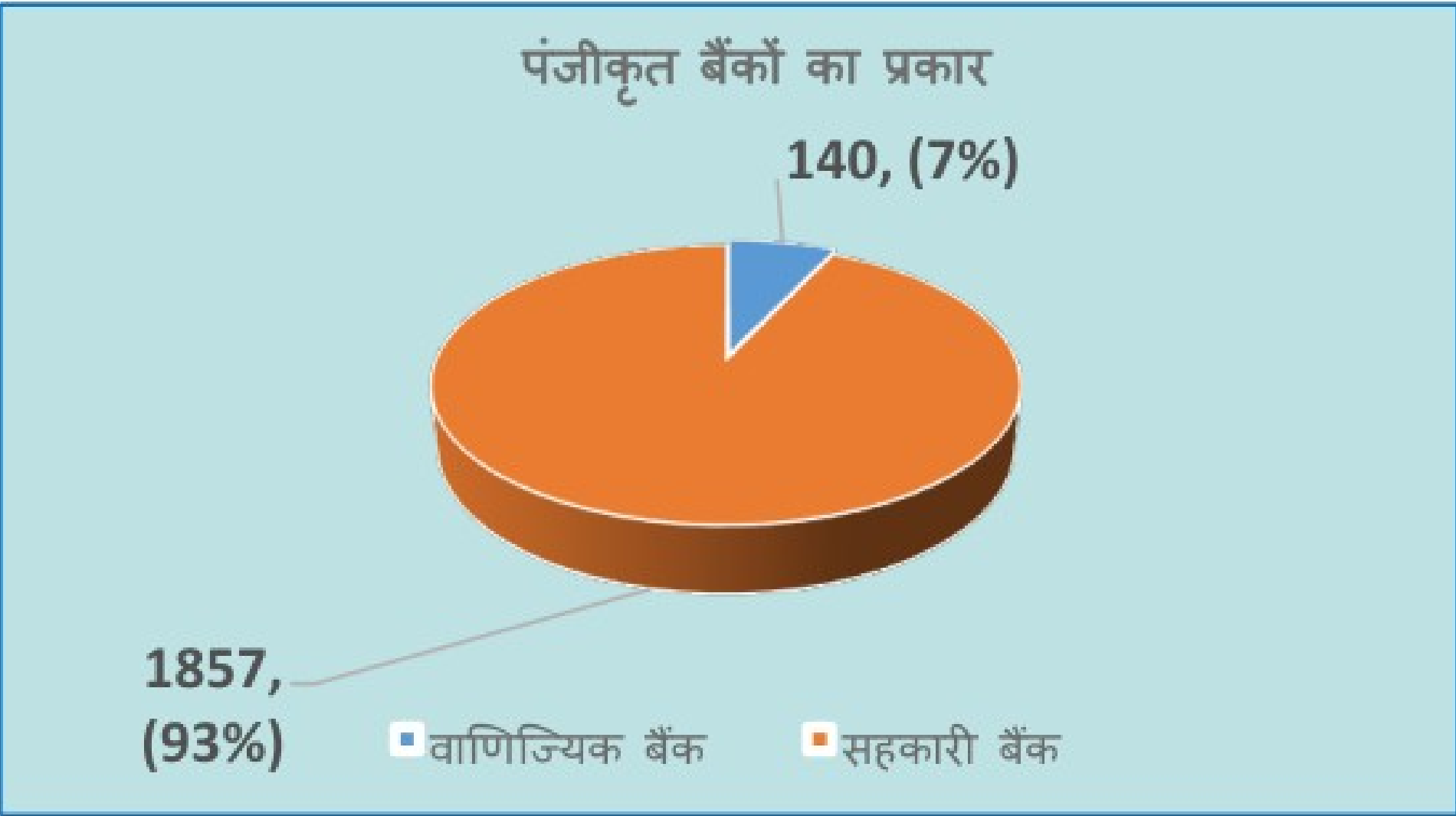
डीआईसीजीसी एक नज़र में

डीआईसीजीसी मील के पत्थर

दिनांक	नीति/घटना
1961	निक्षेप बीमा निगम (डीआईसी) अधिनियम, 1961 21 अगस्त को संसद में पेश किया गया; 7 दिसंबर, 1961 को राष्ट्रपति की सहमति।
1 जनवरी, 1962	निक्षेप बीमा अधिनियम, 1961 वाणिज्यिक बैंकों के लिए लागू होता है। जमा बीमा कवरेज "समान क्षमता और समान अधिकार" में रखी गई जमा राशि के लिए प्रति जमाकर्ता ₹1,500 तय किया गया। पात्र जमाओं के प्रति ₹100 पर प्रीमियम ₹0.05 प्रति वर्ष तय किया गया है।
1968	सहकारी बैंकों को जमा बीमा प्रदान किया गया।
15 जुलाई 1978	निक्षेप बीमा अधिनियम, 1961 में संशोधन किया गया है और इसका नाम बदलकर 'निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961' कर दिया गया है। डीआईसीजीसी जमा बीमा निगम (डीआईसी) और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीजीसीआई) के विलय के साथ अस्तित्व में आया।
27 अगस्त 2021	धारा 18A के समावेशन के साथ डीआईसीजीसी अधिनियम में एक संशोधन जिसके द्वारा निगम आरबीआई द्वारा सर्व समावेशी निदेश (एआईडी) के तहत रखे गए बैंकों की जमा बीमा सीमा तक जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 15 (1) में संशोधन डीआईसीजीसी को आरबीआई की पूर्व स्वीकृति के साथ प्रति ₹100 जमा पर 15 पैसे प्रति वर्ष की बीमा प्रीमियम सीमा बढ़ाने में सक्षम बनाता है।
1 सितम्बर 2023	सभी बीमित बैंकों को सूचित किया गया है कि वे जमा बीमा पर सूचना के केन्द्रित प्रचार-प्रसार के लिए अपने वेब पेज पर डीआईसीजीसी लोगो और क्यूआर कोड को प्रमुखता से प्रदर्शित करें।

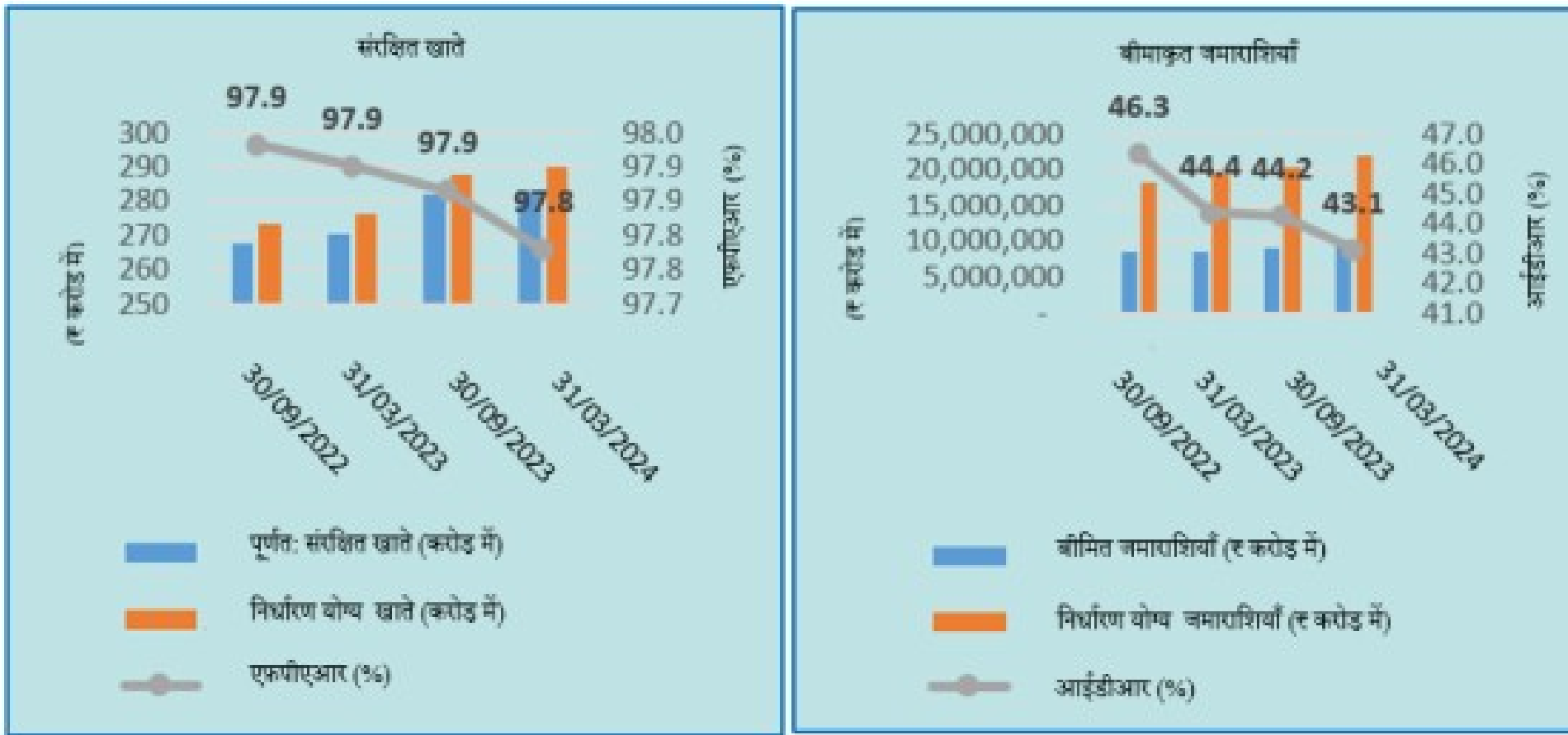
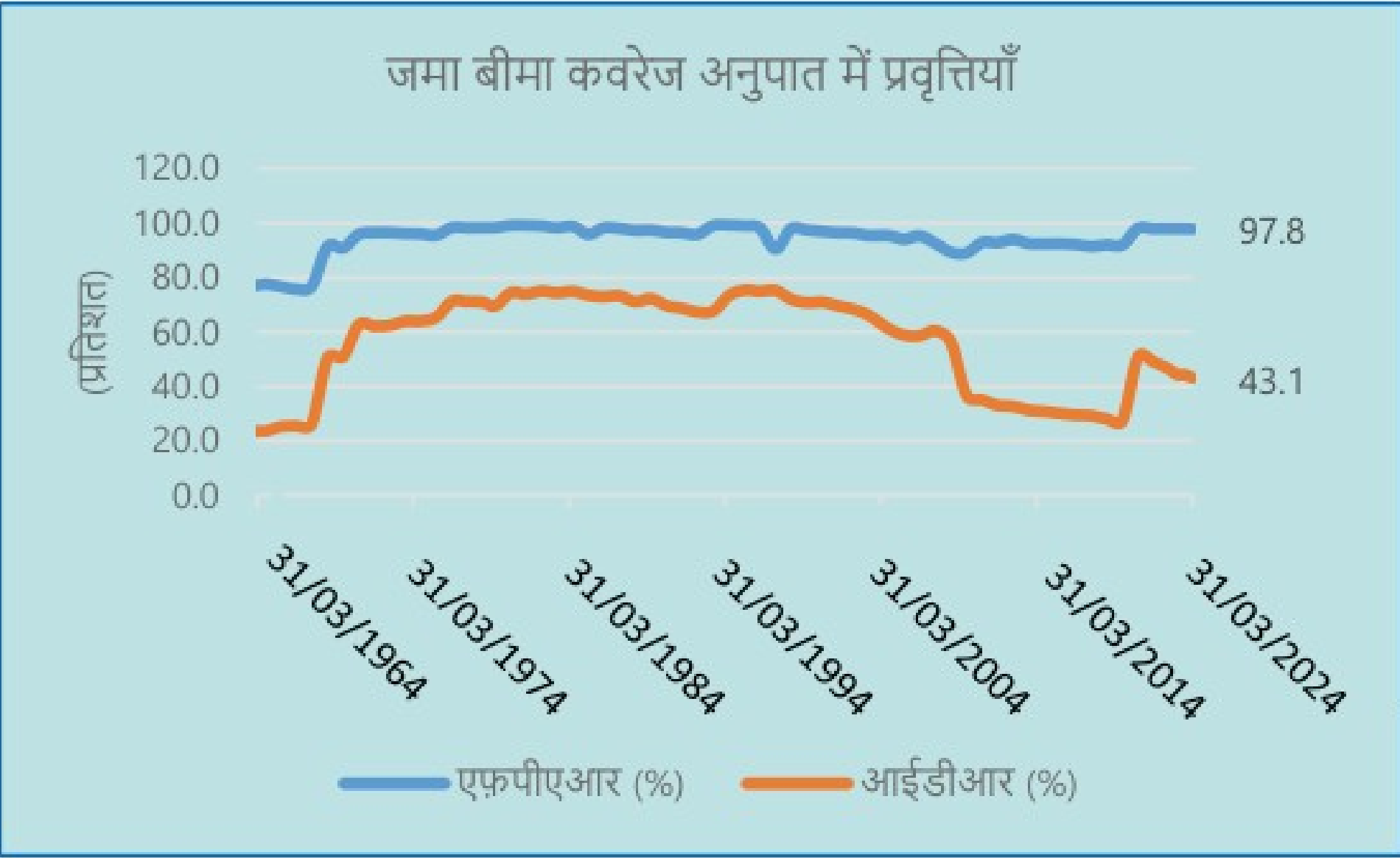
पंजीकृत बैंक

भारत में कार्यरत सभी बैंक जमा बीमा के लिए डीआईसीजीसी के साथ पंजीकृत हैं। डीआईसीजीसी के साथ पंजीकृत बैंकों की संख्या 31 मार्च, 2024 तक 1997 थी, जिनमें से 140 वाणिज्यिक बैंक थे और 1857 सहकारी बैंक थे।



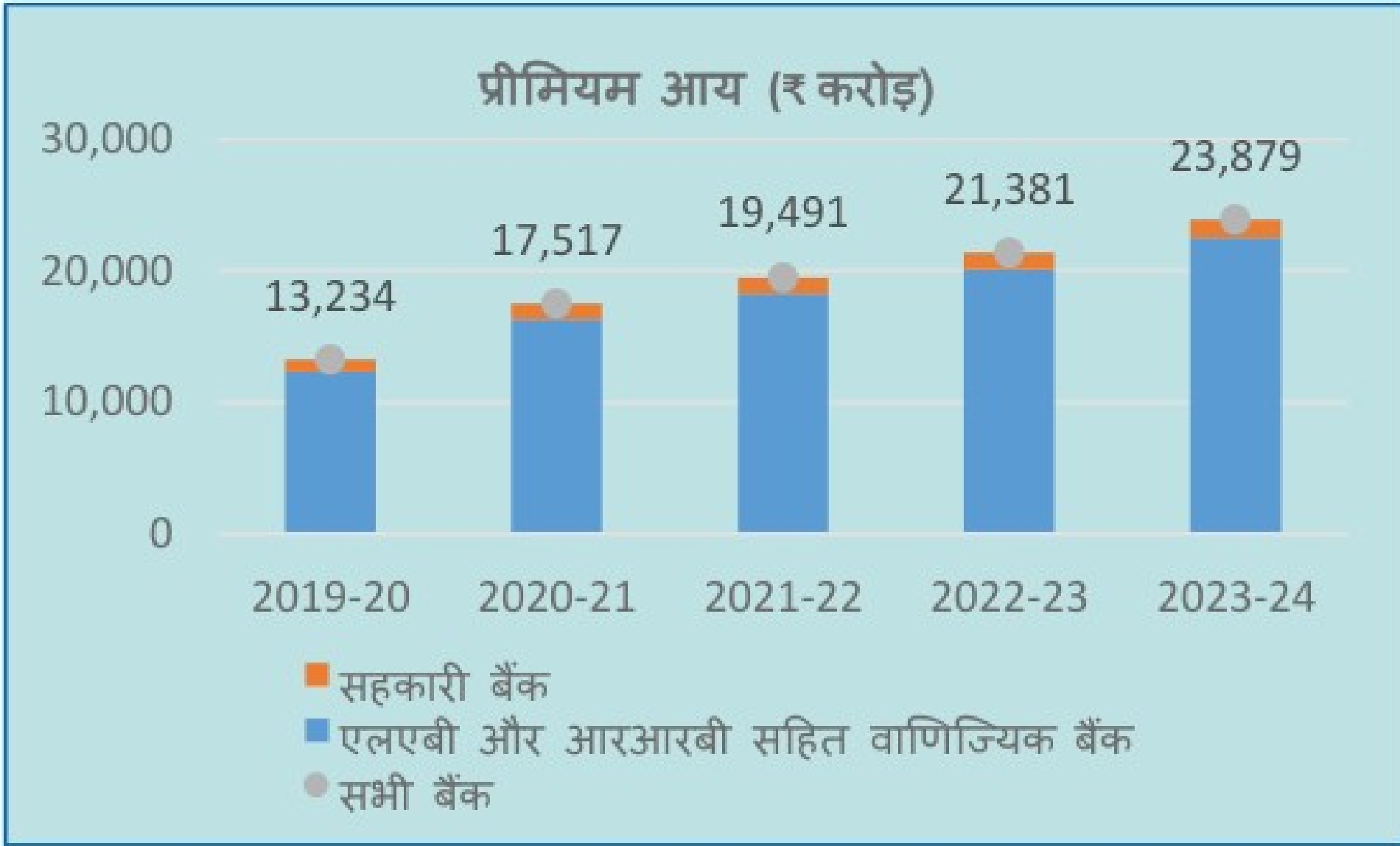
जमा बीमा कवरेज अनुपात

मौजूदा 5 लाख रुपये की कवरेज सीमा के तहत कुल पात्र जमा खातों में से पूर्णतः संरक्षित खातों का हिस्सा मार्च 2024 के अंत की स्थिति के अनुसार 97.8 प्रतिशत था। बीमित जमा का हिस्सा, जिसे बीमित जमा अनुपात (आईडीआर) कहा जाता है, 43.1 प्रतिशत (मार्च 2023 के अंत में 44.4 प्रतिशत) था। सहकारी बैंकों के लिए बीमित जमा अनुपात (63.2 प्रतिशत) अधिक था, इसके बाद वाणिज्यिक बैंकों (42.0 प्रतिशत) का स्थान था। वाणिज्यिक बैंकों के भीतर, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) की तुलना में उच्च बीमित जमा अनुपात था।



प्रीमियम

2023-24 के दौरान निगम द्वारा प्राप्त कुल प्रीमियम ₹23,879 करोड़ था, जिसमें वाणिज्यिक बैंकों का योगदान 94.4 प्रतिशत और सहकारी बैंकों का शेष 5.6 प्रतिशत था।



दावों का भुगतान और वसूली

रिज़र्व बैंक की सर्व-समावेशी निदेशों (एआईडी) के तहत बैंकों और परिसमाप्त बैंकों के मामले में, डीआईसीजीसी ने वर्ष 2023-24 के दौरान 1,432 करोड़ रुपये के दावों का निपटान किया। वर्ष के दौरान, निगम को 900.73 करोड़ रुपये का पुनर्भुगतान प्राप्त हुआ, जिसमें से 760.83 करोड़ रुपये परिसमाप्त/हस्तांतरणकर्ता बैंकों से और 139.90 करोड़ रुपये एआईडी के तहत बैंकों से थे।

आईएडीआई की भूमिका

इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डिपॉजिट इंश्योरर्स (आईएडीआई) का गठन मई 2002 में ज्ञान और विशेषज्ञता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मार्गदर्शन के साझाकरण को बढ़ावा देकर जमा बीमा प्रणालियों की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए किया गया था। एक गैर-लाभकारी संगठन के रूप में, आईएडीआई दुनिया भर के जमा बीमाकर्ताओं के लिए एक मंच है जो जमाकर्ता संरक्षण, बैंक समाधान और वित्तीय स्थिरता के क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए अन्य वित्तीय सुरक्षा नेट प्रतिभागियों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ जुड़ा है। आईएडीआई में वर्तमान में सदस्यों के रूप में 98 जमा बीमाकर्ता, 11 सहयोगी (केंद्रीय बैंक और अन्य राष्ट्रीय प्राधिकरण) और 17 भागीदार (गैर-लाभकारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन) हैं। आईएडीआई प्रशिक्षण और शैक्षिक कार्यक्रम प्रदान करता है और जमा बीमा प्रणाली को स्थापित करने या जहां सुधार अपेक्षित है, उन क्षेत्राधिकारों के लाभ के लिए जमा बीमा से संबंधित मामलों पर अनुसंधान और मार्गदर्शन प्रदान करता है। इयादी महासभा और कार्यकारी परिषद द्वारा शासित है। कार्यकारी परिषद ने अफ्रीका, एशिया-प्रशांत, कैरिबियन, यूरोप, लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के लिए पांच परिषद समितियों और आठ क्षेत्रीय समितियों की स्थापना की है।

आईएडीआई जमा बीमा प्रणालियों को मजबूत करने और वित्तीय प्रणालियों की स्थिरता में योगदान करने के उद्देश्य से जमा बीमा प्रणालियों के लिए वैश्विक मानक-सेटर है। इस दिशा में, आईएडीआई ने बीआईएस के सहयोग से 2014 में 'प्रभावी जमा बीमा प्रणाली के लिए कोर सिद्धान्त (सीपी)' तैयार किए। सीपी को वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) द्वारा स्थिर वित्तीय प्रणालियों के लिए मानकों के वैश्विक संग्रह में शामिल किया गया है। इसके अलावा, सीपी का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और एफएसबी द्वारा दुनिया भर के क्षेत्राधिकारों के स्थिरता ढांचे का आकलन करने के लिए किया जाता है।

डीआईसीजीसी, आईएडीआई और एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति (एपीआरसी) का सदस्य है और विभिन्न मंचों पर दोनों के साथ सक्रिय रूप से संलग्न है। निगम के अधिकारी आईएडीआई और एपीआरसी द्वारा आयोजित बैठकों, सेमिनारों/वेबिनार, कार्यशालाओं और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेते हैं। डीआईसीजीसी नियमित रूप से सीपी के अनुपालन का आंतरिक मूल्यांकन भी करता है।

2023 बैंक विफलताएं: जमा बीमा के लिए संभावित प्रभाव और उभरते नीतिगत मुद्दे

मार्च 2023 में अमेरिका और यूरोप में कुछ बैंक विफलताओं के बाद, आईएडीआई ने जमा बीमा प्रणाली के लिए संभावित प्रभावों और उभरते पॉलिसी मुद्दों का विश्लेषण किया और डिपॉजिट इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा किए गए कार्यों का भी जायजा लिया निष्कर्ष "2023 बैंकिंग उथल-पुथल और जमा बीमा प्रणाली: संभावित प्रभाव और उभरते नीतिगत मुद्दे" शीर्षक से एक रिपोर्ट में प्रकाशित किए गए थे।

इस रिपोर्ट के अनुसार, बैंकिंग उथल-पुथल ने जमा बीमा प्रणाली के लिए इसके संभावित निहितार्थों पर बहस को प्रज्वलित किया। प्रभावी होने के लिए, जमा बीमा प्रणालियों को विवेकपूर्ण विनियमन, पर्यवेक्षण और संकल्प के साथ-साथ अंतिम उपाय और सार्वजनिक बैंकस्टॉप कार्यों के ऋणदाता के ढांचे के साथ तालमेल में काम करना चाहिए। दीर्घकालिक अधीनस्थ ऋण का उपयोग बाजार अनुशासन को मजबूत करने और जमा बीमा निधियों पर बोझ को कम करने में मदद कर सकता है। विफलताओं ने गैर-जी-एसआईबी बैंकों के विफलता प्रबंधन में सीमा पार सहयोग के महत्व को दोहराया है।

जमाकर्ताओं के विश्वास और वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने के लिए देश सीमित, असीमित और लक्षित सुधारों सहित कवरेज विकल्पों का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। बैंक संकटों के शीघ्र हस्तक्षेप और समय पर और प्रभावी प्रबंधन की आवश्यकता है। सोशल मीडिया और भुगतान नवाचारों की सर्वव्यापकता का मतलब यह हो सकता है कि बैंक रन होने और तेजी से होने दोनों की अधिक संभावना होती है। जमा बीमा के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बैंक चलाने के जोखिम को कम करने में योगदान देती है।

कई जमा बीमाकर्ता वर्तमान में भुगतान प्रथाओं में संभावित तकनीकी नवाचार की जांच कर रहे हैं।

बैंक विफलताओं के बाद, कई जमा बीमाकर्ताओं ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें बैंक तरलता, जमा और संकटग्रस्त बैंकों के जोखिम की निगरानी शामिल है; तनाव परीक्षण और संकट सिमुलेशन, जमा बीमा के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग; और वित्तीय सुरक्षा नेट प्रतिभागियों के बीच समन्वय में सुधार।

स्रोत: आईएडीआई (<https://www.iadi.org/en/>)

आईएडीआई नीति सारांश

आईएडीआई ने बर्ट वान रूजबेके, रयान डेफिना और ट्राई वाह्युनी द्वारा लिखित "गैर बीमाकृत जमा: प्रासंगिकता और समय के साथ विकास" शीर्षक से एक नीति सारांश प्रकाशित की है। पॉलिसी ब्रीफ में कुछ प्रमुख अवलोकन हैं:

(i) जी-20 अर्थव्यवस्थाओं में निक्षेप बीमा कवरेज स्तरों में नाममात्र आकार में और जब प्रति व्यक्ति घरेलू सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में व्यक्त किया जाता है, दोनों में काफी भिन्नता होती है; (ii) वैश्विक स्तर पर, जमा बीमाकर्ता जमाकर्ताओं के बहुत अधिक हिस्से की जमाराशियों को पूरी तरह से कवर करते हैं। यह अनुपात 2015 से लगातार उच्च रहा है; और (iii) जमा बीमाकर्ता वैश्विक स्तर पर पात्र जमा के मूल्य का लगभग 41 प्रतिशत कवर करते हैं। इसके विपरीत, 59 प्रतिशत जमाओं का बीमा नहीं होता है। सामान्यतया, एक अर्थव्यवस्था जितनी अधिक उन्नत होती है, जमा बीमा द्वारा कवर की गई जमा राशि के प्रति मूल्य का कवरेज अनुपात उतना ही अधिक होता है।

स्रोत: आईएडीआई (<https://www.iadi.org/en/>)

इथियोपियाई जमा बीमा कोष के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों ने डीआईसीजीसी का दौरा किया

नव स्थापित इथियोपियाई जमा बीमा कोष (ईडीआईएफ) के एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने निगम के कामकाज को समझने के लिए 7-8 नवंबर, 2023 को डीआईसीजीसी का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ईडीआईएफ के अध्यक्ष और नेशनल बैंक ऑफ इथियोपिया के वाइस गवर्नर श्री सोलोमन डेस्टा ने किया था। ईडीआईएफ के बोर्ड के सदस्य और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे।

